न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या–74/2016

1. श्री विनोद लखीसरानी पुत्र रामचन्द जाति सिंधी निवासी गुलाब गैस ऐजेन्सी के सामने राजीव कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर।
2. श्री चन्दर लखीसरानी पुत्र रामचन्द जाति सिंधी निवासी गुलाब गैस ऐजेन्सी के सामने, राजीव कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर।
3. श्री अनिल गंगवाल पुत्र पदमचन्द गंगवाल जाति जैन निवासी 357/12, राजेन्द्रपुरा, हाथीभाटा अजमेर।
4. श्री दिलीप मकवाना पुत्र कांतिलाल जाति गुजराती निवासी 259, ज्ञान विहार कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर।
5. श्री मनोहर वासवानी पुत्र हरूमल वासवानी जाति सिंधी निवासी म0न0 370/उपवन 20, झूला मोहल्ला खारी कुंई अजमेर।
6. श्रीमती मोनिका वासवानी पत्नि मनोहर वासवानी जाति सिंधी निवासी म0न0 370/उपवन 20, झूला मोहल्ला खारी कुंई अजमेर। ....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला–अजमेर। .... **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 150 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते भूमि की किस्म दुरूस्ती बाबत।

उपस्थितः–	1. श्री शिवप्रकाश चौधरी	अभिभाषक प्रार्थी
	2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी	पैरोकार सरकार

आदेश **दिनांक – 19.04..2018**

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी खाता संख्या 844 (नया) व 747 (पुराना) के ख0न0 2505 रकबा 0.2100 हैक्टयर, 2506 रकबा 0.1600, 2761 रकबा 0.2100 व खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर के 1/2 हिस्से के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है। उपरोक्त खसरान के साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 बीघा एवं 210 रकबा 2–05–10 बीघा थे। साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 बीघा किस्म बारानी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नं0 2761 रकबा 0.21 व 2762 मी रकबा 0.07 हैक्टर बनाये गये। आधार जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खसरा नं0 2761 रकबा 0.2100 व 2762 मी रकबा 0.2400 हैक्टर दर्ज करते हुए खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर की किस्म गै0मु0नाला दर्ज की गई जबकि उक्त खसरान के साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 की किस्म बारानी दर्ज थी। प्रश्नगत खसरान की भूमि की मौके पर भौतिक सरचना भी नाला नहीं है मौके पर नाला नहीं होकर भूमि समतल होने के बावजूद भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही दौरान बिना मौके की जांच किये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खसरा नं0 2762 की किस्म नाला दर्ज कर दी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

19/04/18

जिला कलक्टर
अजमेर

कर ग्राम माकडवाली के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2069–2072 की खाता संख्या नया 844, पुराना 747 के खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर गैर मु0 नाला को दुरूस्त किया जाकर बारानी 2 अंकित किये जाने के आदेश बाबत प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अजमेर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर प्रकरण वास्ते सुनवाई नियत किया गया। सुनवाई दौरान प्रकट तथ्यों के प्रकाश में तहसलीदार अजमेर से प्रश्नगत भूमि बाबत विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की जाकर उपस्थित उभय पक्ष को पुनः सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर (राज0) स्थित आराजी खाता संख्या 844 (नया) व 747 (पुराना) के ख0न0 2505 रकबा 0.2100 हैक्टयर, 2506 रकबा 0.1600, 2761 रकबा 0.2100 व खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर के 1/2 हिस्से के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है। उपरोक्त खसरान के साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 बीघा एवं 210 रकबा 2–05–10 बीघा थे। साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 बीघा किस्म बारानी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नं0 2761 रकबा 0.21 व 2762 मी रकबा 0.07 हैक्टर कायम किये गये। आधार जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खसरा नं0 2761 रकबा 0.2100 व 2762 मी रकबा 0.2400 हैक्टर दर्ज करते हुए खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर की किस्म गै0मु0नाला दर्ज कर दी गई जबकि उक्त खसरान के साबिक खसरा नं0 208 रकबा 1–15–00 की किस्म बारानी दर्ज थी। प्रश्नगत खसरान की भूमि की मौके पर भौतिक सरचना भी नाला नहीं है, एवं ना ही मौके पर नाला है। मौके पर भूमि समतल है। इसके बावजूद भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध कार्यवाही दौरान बिना मौके की जांच किये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खसरा नं0 2762 की किस्म नाला दर्ज कर दी गई। प्रार्थीगण का मामला मिट्टी वर्गीकरण का है इसलिए नियमानुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 150 के तहत दुरूस्ती योग्य है। अतः बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध रूप से दर्ज की गई ग्राम माकडवाली के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2069–2072 की खाता संख्या नया 844, पुराना 747 के खसरा नं0 2762 रकबा 0.2400 हैक्टर गैर मु0 नाला को दुरूस्त किया जाकर पुर्ववत दर्ज किस्म बारानी 2 अंकित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अपने कथनों के समर्थन में वकील प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 181 व आरआरडी 1977 पेज 673–678, आरआरडी 1980 पेज 315–318, आरआरडी 1984 पेज 185–188, के उद्वरण उद्वत करवायें।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष धारा 150 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत देय नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 150, मिट्टी का वर्गीकरण बाबत है। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे निवेदन किया कि प्रार्थीगण को वांछित अनुतोष, गलतियों का शुद्धिकरण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

19/04/18

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनो का ध्यान पूर्वक मनन किया एवं रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 150, "मिट्टी का वर्गीकरण बाबत है जिसमें बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा धारा 149 के तहत बनाये गये प्रत्येक निर्धारण वृत या निर्धारण समूहों के गांवों का एतदर्थ बनाये गये नियमों से विभिन्न मिट्टी वर्गो में विभाजित भी करेगा।" उल्लेखित है। राजस्व रिकार्ड/अधिकार अभिलेख में गलतियों का शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त नियम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तकनीकी आधार पर चलने योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.04..2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/04/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर